The proactive dicloser documents as per Section 4 B (I-XVII) of Right to infromation Act-2005

1. **संगठन / विभाग / दायित्व एवं कर्तव्यः–**

संगठन / विभाग / – उ0प्र0 लो0नि0 विभाग के बुलन्दशहर में निम्न कार्यालय वर्तमान मे कार्यरत है।

1. अधीक्षण अभियन्ता, बुलन्दशहर वृत लो0नि0वि0, बुलन्दशहर।
2. प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, बुलन्दशहर।
3. निर्माण खण्ड नं0 –2, लो0नि0वि, बुलन्दशहर।

दायित्व एवं कर्तव्य– लो0नि0 विभाग जनपद में मार्ग एवं भवन आदि के निर्माण का कार्य कर रहा हैं। जनपद–बुलन्दशहर मे प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, बुलन्दशहर जनपद कार्यो हेतु नोडल खण्ड नामित है। तथा प्रान्तीय खण्ड के अधिशासी अभियन्ता लो0नि0 विभाग के जनपदीय जन सूचना अधिकारी नामित है।

2. **अधिकारियों / कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :–**

जनपद मे लो0नि0 विभाग के प्रसाशनिक अधिकारी के कर्तव्य को निर्हवन कर रहे है। जनपद मे दोनो खण्ड मे क्रमशः एक–एक अधिशासी अभियन्ता तथा तीन / दो सहायक अभियन्ता तैनात है। सहायक अभियन्ता के अधीनस्थ अवर अभियन्ता सिविल / मैकेनिकल तैनात है।

प्रत्येक खण्डीय कार्यालय मे एक मुख्य लिपिक वर्ग तथा एक लेखावर्ग है। मुख्य लिपिक वर्ग में मुख्य लिपिक के अधीन लिपिकीय तथा चतुर्थ श्रेणी स्टाफ कार्यरत है। इसी प्रकार लेखा वर्ग में एक लेखाधिकारी तैनात है। तथा उनके अधीन लिपिकीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तैनात है।

अभियन्ता वर्ग जनपद में स्थित मार्ग एवं भवन आदि के नव निर्माण के कार्यो के साथ–साथ पुराने समस्त मार्ग एवं भवनों के रख–रखाव का कार्य कर रहा है।

3. **निर्णय लेने की विधि जिसमें परीक्षण व जिम्मेदारी सम्मिलित हो :–**

किसी भी कार्य सम्पादित करने के निर्णय का अन्तिम अधिकारी प्रमुख अभियन्ता उत्तर प्रदेश लो0नि0वि0 लखनऊ में है निर्माण तथा रख–रखाव कार्य के सम्पादन व परीक्षण आदि की जिम्मेदारी का प्रारूप अवर अभियन्ता से प्रारम्भ, सहायक अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता / अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय तक होता है, जो उपरोक्त के आधार पर अन्तिम निर्णय लेते है।

4. **क्रिया–कलापों के पूर्ण करने के नियम / आधार :–**

लो0नि0 विभाग उत्तर प्रदेश सरकार तथा प्रमुख अभियन्ता उत्तर प्रदेश लो0नि0वि0 लखनऊ से समय–समय पर जारी आदेशों, निर्देशों तथा मार्गदर्शन के अनुसार क्रिया–कलापों को सम्पादित किया जाता है।

.......................2

5. **रूल्स, रेगुलेशन्स, इन्ट्रक्शंस, मनुअल्स एवं रिकार्ड :–**

विभाग से सम्बन्धित सभी प्रकार के शासनादेश, निर्देशो व मार्गदर्शन जारी किय जाते है। वे सभी प्रमुख सचिव, लो0नि0वि0 उ0प्र0 सरकार लखनऊ तथा प्रमुख अभियन्ता उ0प्र0 लो0नि0वि0 लखनऊ से निर्गत होते है। और उनका रख–रखाव व उपलब्धता प्रमुख अभियन्ता स्तर, क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता स्तर पर तथा जनपद पर उपलब्ध होता है।

6. **नियंत्रणाधीन अभिलेखों की श्रेणी :–**

जनपद स्तर पर विभाग द्वारा संचालित सभी प्रकार की योजनाओं से सम्बन्धित अभिलेख तथा विभाग द्वारा संचालित सभी प्रकार की योजनाओं से सम्बन्धित अभिलेख सुरक्षित रूप से रखे जाते है।

7. **परामर्श की व्यवस्था :–**

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बुलन्दशहर जनपद को नोडल खण्ड है तथा विभाग से सम्बन्धित सभी प्रकार के परामर्श उपलब्ध कराने के लिए अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बुलन्दशहर के कक्ष में आगुन्ताकों को वांछित जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

8. **बोर्ड काउन्सिल कमैटी :–**

जनपद स्तर पर बोर्ड काउन्सिलिंग कमैटी नहीं है।

9. **अधिकारीं व कर्मचारियो की सूची :–**

1. अधिशासी अभियन्ता	–	2
2. सहायक अभ्यिन्ता	–	5
3. अवर अभियन्ता	–	29
4. लेखाकार	–	2
5. आशुलिपिक	–	4
6. मुख्य लिपिक	–	–
7. वरिष्ठ सहायक	–	13
8. वरिष्ठ लिपिक	–	24
9. कनिष्ठ लिपिक	–	13
10. अनुचर	–	11

10. **अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किये जाने वाली मासिक परिलब्धिया :–**

लो0नि0वि0 में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लाभ की परिलब्धिया प्रतिमाह उपलब्ध कराई जाती है।

11. **लो0नि0वि0 का आवंटित बजट :–**

लो0नि0वि0 मे वेतन मदों के साथ विभिन्न निर्माणधीन/रख–रखाव के कार्यो हेतु विभिन्न योजनाओं/मदों हेतु प्रमुख अभियन्ता, लखनऊ स्तर से बजट आवंटित होता है।

12. **उपादान एवं छूटों को उपलब्ध कराये जाने की विधि :–**

विभाग मे ऐसा कोई प्राविधाना नही है। अतः आख्या शून्य है।

.......................3

13. <u>रेसिपियेन्स ऑफ कन्सेसंस, परमिट्स ऑफ ऑथराईजेशन ग्रान्टेड :–</u>

आख्या शून्य है।

14. <u>इलैक्ट्रोनिक फार्म मे सूचना :–</u>

इलैक्ट्रोनिक फार्म मे विभिन्न सूचनायें प्रेषित की जाती है।

15. <u>नागरिकों को सूचना प्राप्त कराने हेतु की सूचना :–</u>

सहायक सूचना अधिकारी के कार्यालय स्तर से उपलब्ध कराई जाती है।

16. <u>पब्लिक इन्फोरमेशन अधिकारी का विवरण/नाम एवं ऑथरिटी :–</u>

1. श्री वी0के0 सिंह, जन सूचना अधिकारी
2. श्री आर0के0 सिंह, सहायक सूचना अधिकारी।

17. <u>अन्य सूचना :–</u>

आख्यां शून्य है।

(वी0के0 सिंह)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
बुलन्दशहर।